



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



"ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत हत्या के आरोपियों- 1. ऋषिपाल, 2. प्रीति को पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप सश्रम आजीवन कारावास एवं 35,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई, जबकि अभियुक्त विककी उर्फ विकास को सश्रम आजीवन कारावास एवं 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।



अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1-ऋषिपाल पुत्र नैन सिंह, 2-प्रीति पत्नी सुरेन्द्र निवासीगण ग्राम भगवानपुर नांगल थाना दोघट व 3-विककी उर्फ विकास पुत्र राजवीर निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट द्वारा वर्ष-2023 में वादी जितेन्द्र पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट के भाई राजीव की गला दबाकर हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 197/23 धारा 302/201/120बी भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों 1. ऋषीपाल, 2. प्रीति को पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप सश्रम आजीवन कारावास एवं 35,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई, जबकि अभियुक्त विककी उर्फ विकास को सश्रम आजीवन कारावास एवं 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।



श्री अशोक सैनी
एडीजीसी



है0का0 धर्मेन्द्र
कुमार
कोर्ट पैरोकार

विवेचक-उ0नि0 सोहनवीर सिंह
सोलंकी(तत्कालीन थाना प्रभारी दोघट)

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना चांदीनगर

दिनांक 11.08.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम खैला थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-है0का0 490 आशीष कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 11.08.2025

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू पुत्र राजपाल निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-का 524 सौपाल थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 11.08.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने 01 जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के



अन्दर पाये जाने पर 01 जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता-

अरुण पुत्र संजीव निवासी ग्राम ट्यौढ़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त अरुण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 737/23 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना बड़ौत ।
2. मु0अ0सं0 412/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना बड़ौत ।
3. मु0अ0सं0 503/25 धारा 3/10 यूपी गुण्डा नियंत्रण अधि0 थाना बड़ौत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री आदित्य कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 728 कैलाश मलिक थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 661 गंगाप्रसाद थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

